भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2386

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 04 अगस्त, 2025/ 13 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है

आयकर अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (2) का निरसन

2386. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 5क को शामिल किए जाने से पूर्व पुर्तगाली नागरिक संहिता के "कोमुनिआओ दोस बेन्स" द्वारा शासित गोवा राज्य में वेतन से होने वाली आय को पति-पत्नी के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता था;
(ख) यदि हां, तो धारा 5क की उपधारा (2) को अधिनियमित करके ऐसे विभाजन से वेतन से होने वाली आय को बाहर रखने के विशिष्ट कारण और विधायी मंशा क्या है;
(ग) वेतनभोगी व्यक्तियों के साथ भेदभाव करते हुए इस विभेदकारी व्यवहार को जारी रखने के लिए सरकार का क्या औचित्य है जबकि अन्य करदाता अभी भी उसी पुर्तगाली नागरिक संहिता द्वारा शासित हैं; और
(घ) क्या सरकार गोवा में वेतनभोगी व्यक्तियों के साथ समान कर व्यवहार करने के लिए धारा 5क की उपधारा (2) को निरस्त करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर:

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क)

जी, नहीं, वित्त अधिनियम, 1994 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) में दिनांक 01.04.1963 से पूर्वव्यापी प्रभाव से धारा 5ए के समावेशन से पूर्व, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पुर्तगाली नागरिक संहिता के 'कोमुनियाओ दोस बेन्स' द्वारा शासित गोवा राज्य में वेतन से प्राप्त आय पति-पत्नी के बीच समान विभाजन के अधीन नहीं थी।

(ख)

उत्तर (क) के मद्देनज़र लागू नहीं।

(ग)

इस अधिनियम की धारा 5ए (2) सभी निर्धारिती पर लागू होती है। मात्र वेतन के शीर्ष के तहत किसी निर्धारिती की आय प्रभाजन (एपोर्शन्ड) नहीं किया जाता है क्योंकि यह अर्जित करने वाले किसी व्यक्ति के लिए यूनीक है।

(घ)

वर्तमान में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 5ए की उप-धारा (2) को निरस्त करने का कोई आधिकारिक प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

******